10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर केम्प सागर

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा०/2017/4241

गनेशा तनय खुमना ढीमर

निवासी– ग्राम बनपुरा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़,

.............आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर .... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

06 OCT 2017

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय **श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय** जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 212/निगरानी/2002–03 में **पारित आदेश दिनांक** 31/07/2003 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, तहसीलदार महोदय बल्देवगढ़ द्वारा अपने प्र0क0 366/अ–19/1995–96 आदेश दिनांक 19/09/1996 के द्वारा आवेदक को ग्राम बनपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 02 रकवा 0.279 हैक्टर का व्यवस्थापन पटटा दखल रहित अधिनियम वर्ष 1984 के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया था। आवेदक उपरोक्त वादभूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से लगातार काबिज चला आ रहा है। जिसके आधार पर उसे पटटा प्रदाय किया गया था। जिसके संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर दिनांक 31/07/2003 को आदेश पारित करके आवेदक का पटटा निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

श्री राजेन्द्र पटेरिया द्वारा प्रस्तुत
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर म. प्र.

निगरानी के आधार

1– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। आवेदक बगैर पडा लिखा अशिक्षित व्यक्ति है सूचना पत्र प्राप्त होने पर वह अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में पदस्थ रीडर द्वारा आदेश पत्रिका पर अंगूठा निशानी लगवा ली तथा कहा कि– आदेश होने तहसील से सूचना मिल जायेगी तुम जाओ। जिसके आधार पर आवेदक वापिस आ गया, ना तो उसका जबाव लिया गया ना ही उसे साक्ष्य एवं

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कालोनी, सागर
मो.- 9425451002

(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4241 गनेशा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र रायकवार उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 212/निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-07-2003 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

4.1.19

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 4.1.19
सदस्य